No.52/3/2005-6S(I)

From

The Chief Secretary to Government, Haryana.

To

1. All Heads of Departments, Commissioners of Divisions, Deputy Commissioners, Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana.
2. DIG/CID, Haryana.
3. All District Superintendents of Police in Haryana.

Dated, Chandigarh, the 18 November, 2005.

Subject : Verification of character and antecedents of persons on their first appointment to Government service.

- - -

Sir,

I am directed to invite reference to Haryana Govt. letter No.52/9/94-S(I), dated 7th June, 1994 followed by letter No.52/9/94-S(I) dated 29th July, 1994 which inter-alia lay down that the requirement of verification of character and antecedents may be waived altogether in regard to the persons who are to be appointed on Class-III and IV posts except in the following departments:-

1. Police
2. Jail Administration
3. Excise & Taxation
4. Revenue
5. Public Relations
6. Haryana Raj Bhawan

2. On reconsideration it has now been decided by the Government that policy of prior verification of character and antecedents will also be adhered to in respect of persons to be appointed to Class III i.e. Group 'C' (including teachers) posts in Education Department.

3. Instructions contained in circular letter dated 7th June, 1994 and 29th July, 1994 shall be deemed to have been modified to the extent indicated above.

Yours faithfully

A copy each is forwarded to all the Financial Commissioners and Principal Secretries and Administrative Secretaries to Govt. Haryana for information and necessary action in continuation of Haryana Govt. letter No.52/9/94-S(I) dated 7th June, 1994 and letter No.52/9/94-S(I) dated 29th July, 1994.

Deputy Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government, Haryana.

To

All the Financial Commissioners and Principal Secretaries and Administrative Secretaries to Govt. Haryana.

U.O. No.52/3/2005-6S(I) Dated Chandigarh, the 18 November, 2005

Endst. No. 52/3/2005-6S(I) Dated Chandigarh, the 18 November, 2005

A copy is forwarded to the Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt., Haryana, Education Department for information with reference to his U.O. No.5581-FCE dated 20.10.2005.

Deputy Secretary General Administration
for Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2001

संख्या सा०का०नि० 9/संवि०/अनु० 309/2001.––चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7422 आफ 1999––संदीप सिंह तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) से संबंधित अन्य तथा समवर्गीय सेवाएं परीक्षा, 1993, में अपने निर्णय दिनांक 9 नवम्बर, 2000 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह धारण किया है कि प्रथमतया नियमानुसार, हमें यह सिफारिश आकर्षित करती है कि साक्षात्कार की तिथि तक किसी विशेष सेवा में उपलब्ध रिक्तियां कम से कम केवल उसी परीक्षा से भरी जानी चाहिएं जब तक कि उसके लिए कोई कानूनी रोक न हो ;

और चूंकि इस निर्णय ने इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं कि सफल उम्मीदवारों को सेवा के आबंटन सहित उक्त प्रवर्गों के लिए उसी परीक्षा तथा पश्चात्वर्ती परीक्षा (दिसम्बर, 1997/जनवरी, 1998 में की गई) को पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है। हरियाणा लोक सेवा आयोग भी विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा के बराबर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार बुलाता है। यदि पश्चात्वर्ती रिक्तियां बाद में विज्ञापित रिक्तियों के साथ मिला दी जाती हैं, यह उनकी जो साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये गये, को वाद के लिए प्रेरित करेंगी किन्तु अन्यथा प्रारम्भ में पश्चात्वर्ती रिक्तियों के मिलाने पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए पात्र होते। अब इन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि लिखित परीक्षा में उनके अंकों का पता चल गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वार प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य की हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाओं के पदों की सीधी भर्ती के लिए सामूहिक/संयुक्त परीक्षाओं को नियंत्रित/विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा तथा समवर्गी सेवाएं) तथा अन्य सेवाओं के पदों की सीधी भर्ती के लिए सामूहिक/संयुक्त परीक्षाएं नियन्त्रण नियम, 2001, कहे जा सकते हैं।

(2) ये हरियाणा राज्य में नियम–2 में यथा वर्णित ऐसी सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए लागू होंगे, जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से सामूहिक/संयुक्त सीधी परीक्षाओं के रूप में भरी जाती हैं।

-23

(3) ये अक्तूबर, 1993 के 27वें दिन से लागू हुए समझे जाएंगे, सिवाए यातायात प्रबन्धक के पद की सीधी भर्ती की दशा में, इस मामले में ये सितम्बर, 1998, के 25वें दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. इस निमित्त बनाए गए किन्हीं अन्य सेवा नियमों/अनुदेशों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसी परीक्षा के परिणामस्वरुप चयनित उम्मीदवारों के युक्तियुक्त आबंटन के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएगे।

(1) हरियाणा लोक सेवा आयोग निम्नलिखित सेवाओं के प्रवर्गो के पदों की भर्ती के लिए निम्नलिखित रीति में दर्शित सामूहिक/संयुक्त परीक्षाएं करवाएगा :—

प्रवर्ग का नाम	प्रवर्ग में शामिल सेवाओं/पदों के नाम
I	1. हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा)।
	2. आबकारी तथा कराधान अधिकारी ।
	3. जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ।
	4. प्रथम श्रेणी तहसीलदार ।
	5. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी ।
	6. सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी ।
	7. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी ।
	8. यातायात प्रबंधक ।
	9. जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी ।
	10. सहायक रोजगार अधिकारी ।
II	1. उप पुलिस अधीक्षक ।
	2. उप अधीक्षक जेल ।
III	1. लोक निर्माण विभाग की सभी शाखाओं की इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख"।
	2. अस्थायी इंजीनियर ।

प्रवर्ग का नाम	प्रवर्ग में शामिल सेवाओं/पदों के नाम
IV	1. श्रम अधिकारी ।
	2. जिला कल्याण अधिकारी ।
V	1. खजाना अधिकारी ।
	2. सहायक खजाना अधिकारी ।
VI	1. हरियाणा वन सेवा, ग्रुप "क"।
	2. हरियाणा वन सेवा, ग्रुप "ख"।
VII	1. जिला उद्योग अधिकारी ।
	2. सहायक निदेशक उद्योग ।
	3. सहायक नियंत्रक भण्डार ।

(ii) विभाग प्रवर्ग की दशा के सिवाए किसी वर्ष में सामूहिक/संयुक्त परीक्षा के आधार पर भरी जानी वाली अन्य सेवाओं की रिक्तियों की संख्या हरियाणा लोक सेवा आयोग को संसूचित करते समय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की मांग पत्र की एक प्रति पृष्ठांकित करेंगे । प्रवर्ग I में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा अन्य समवर्गीय सेवाओं

25

की सामूहिक/संयुक्त परीक्षा की दशा में यहां नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी :—

अनुसूची

क्रम संख्या	महीना	की जाने वाली कार्रवाई
1	2	3
1	दिसम्बर	सभी संबंधित विभाग 15 दिसम्बर तक अपनी मांग मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजेंगे जो आगे हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गीय सेवाओं की सामूहिक/समेकित मांग 31 दिसम्बर तक हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजेगा ।
2	जनवरी	हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रत्याशित पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी करेगा ।
3	अगस्त	हरियाणा लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा लेगा ।
4	नवम्बर	हरियाणा लोक सेवा आयोग मौखिक परीक्षा लेगा ।
5	दिसम्बर	हरियाणा लोक सेवा आयोग सफल उम्मीदवारों की सूची मुख्य सचिव को भेजेगा ।

(iii) हरियाणा लोक सेवा आयोग, गुणवत्ता के आधार पर प्रतियोगियों के नाम अग्रेषित करते समय सेवा के लिए अधिमान के सम्बन्ध में उम्मीदवारों द्वारा किए गए विकल्प स्पष्टत: निर्दिष्ट करेगा । सूची में अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि से संबध रखने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके अपने अपने प्रवर्ग में गुणा-गुण के आधार पर शामिल होंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों/जन-जातियों, अन्य आरक्षित प्रवर्गों के लिए उनके आरक्षण को शामिल करते हुए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बराबर सभी अहर्क उम्मीदवारों के मूल आवेदन पत्रों को एक साथ सरकार को भेजेगा। इन पदों का विज्ञापन करते समय, हरियाणा लोक सेवा आयोग, यह स्पष्ट करेगा कि किसी उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट किया गया विकल्प अंतिम होगा तथा परीक्षा का परिणाम उपलब्ध करवाने के बाद नया विकल्प निर्दिष्ट करना अनुज्ञात नहीं होगा ।

(iv) हरियाणा लोक सेवा आयोग सम्बद्ध प्रशासकीय सचिवों को, विज्ञापित रिक्तियों की सीमा तक प्रवर्ग–I, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा भिन्न प्रवर्गों में वर्णित पदों के सम्बन्ध में सिफारिशें भेजेगा जो उनके द्वारा दिए गए अधिमान को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता सूची में उनके अवस्थान के क्रमानुसार अर्हित उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी । प्रवर्ग-I की दशा में हरियाणा लोक सेवा आयोग विज्ञापित रिक्तियों की सीमा तक उनके आवेदन-पत्रों सहित, उम्मीदवारों द्वारा दिये गये विकल्प सहित गुणवत्ता क्रमानुसार में अर्हित उम्मीदवारों की सूची मुख्य सचिव को भेजेगा । हरियाणा लोक सेवा आयोग की सूची के आधार पर, मुख्य सचिव विज्ञापित रिक्तियों की सीमा तक विभिन्न सेवाओं के लिए (अनुसूचित जाति इत्यादि के लिए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए) गुणवत्ता तथा अधिमान के क्रमानुसार प्रवर्ग–I के सम्बन्ध में उम्मीदवारों का आबंटन करेगा ।

(v) प्रवर्ग–I के सम्बन्ध में उपरोक्त उम्मीदवारों को नैमितिक करते हुए, विभाग, उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्वचरित के सत्यापन तथा अरोग्यता के लिए चिकित्सा परीक्षण की आवश्यक औपचारिक्ताओं को पूरी करने के बाद नियुक्तियां करने के लिए अग्रसर होगा ।

(vi) लिखित परीक्षा के उपरान्त मौखिक परीक्षा के आधार पर किए गए चयन की दशा में, लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रवर्गों में विज्ञापित पदों की संख्या की सीमा तक ही सही रूप में संचालित परीक्षण तथा साक्षात्कार (मौखिक) के आधार पर गुणवत्ता सूची तैयार करेगा । यदि कुछ अतिरिक्त रिक्तियां मूल रूप से विज्ञापित पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान संसूचित की जाती है उनके लिए अलग परीक्षा तथा साक्षात्कार संचालित किया जाएगा । ऐसी अतिरिक्त रिक्तियों की अधिसूचना अपने आप में स्वावलम्बी अलग मांग पत्र के रूप में समझी जाएंगी जिसके लिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी । आगे हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई गुणवत्ता सूची में से कोई रिक्ति न भरने की दशा में या किसी पश्चातवर्ती किसी कारण से रिक्त हो जाती है तब ये सभी रिक्तियां आगामी भर्ती के लिए आगे ली जाएंगी । केवल विज्ञापित पदों की सीमा तक ही उम्मीदवारों के नाम लोक सेवा आयोग द्वारा मूल गुणवत्ता सूची में से सिफारिश किए जाने हैं ।

3. इन नियमों में किसी बात का अर्थ, उस व्यक्ति को, जिसको ये नियम लागू होते हैं, तथा जो पहले ही पद पर तदनुसार नियुक्त किया जा चुका है, किसी निहित अधिकार से वंचित करने से नहीं लगाया जाएगा ।

एल० एम० गोयल,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2001

No. G. S. R. 9/Const./Art. 309/2001.—Whereas the Hon'ble Supreme Court in its judgement dated 9th November, 2000 in Civil Appeal No. 7422 of 1999—Sandeep Singh and others *versus* State of Haryana and others relating to Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services Examination, 1993, has *inter alia* held that even on first principle, it appeals to us to commend that the vacancies available in any particular service till the date of interview at least should be filled in from the very same examination unless there is any statutory embargo for the same ;

And whereas this judgement has created multiplicity of problems in as much as that the whole list of the same examination and subsequent examination for the said categories (held in December, 1997/ January, 1998) requires to be revised including the allotment of service to the successful candidates. Also the Haryana Public Service Commission calls candidates for interview equivalent of thrice the number of advertised vacancies. In case subsequent vacancies are clubbed with the advertised vacancies at a later stage, it would lead to litigation from those who were not called for interview but otherwise would have been eligible for being called for interview had the subsequent vacancies been clubbed initially. These candidates cannot now be called for interview as their marks in written examination are known ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the holding of common/combined examinations for direct recruitment to posts of Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and other Services of State of Haryana, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services Holding of Common/Combined Examinations for Direct Recruitment to the posts of Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Rules, 2001.

(2) They shall apply to direct recruitment to the posts of such services in the State of Haryana which are filled in by way of various common/combined examinations held through the Haryana Public Service Commission as mentioned in Rule 2.

(3) They shall be deemed to have come into force with effect from the 27th day of October, 1993, except in the case of direct recruitment to the post of Traffic Monager in which case the same shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of September, 1998.

2. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules/instructions framed in this behalf, the following measures shall be adopted to rationalise allocation of candidates selected on the results of such examinations :—

(i) The Haryana Public Service Commissioon shall hold common/combined examinations for recruitment to the posts of following categories of services shown in the following manner :—

Number of Category	Name of services/posts included in the Category
I	1. Haryana Civil Service (Executive Branch)
	2. Excise and Taxation Officer
	3. District Food and Supplies Controller
	4. 'A' Class Tehsildar
	5. Assistant Registrar, Co-operative Societies
	6. Assistant Excise and Taxation Officer
	7. Block Development and Panchayat Officer
	8. Traffic Manager
	9. District Food and Supplies Officer
	10. Assistant Employment Officer
II	1. Deputy Superintendent of Police
	2. Deputy Superintendent of Jails
III	1. Engineering Service Group I and Group II of all branches of the P. W. D
	2. Temporary Engineer
IV	1. Labour Officer
	2. District Welfare Officer
V	1. Treasury Officer
	2. Assistant Treasury Officer

Number of Category	Name of services/posts included in the Category
VI	1. Haryana Forest Service, Group I
	2. Haryana Forest Service, Group II
VII	1. District Industries Officer
	2. Assistant Director of Industries
	3. Assistant Controller of Stores

(ii) The departments while intimating to the Haryana Public Service Commission the number of vacancies of other services to be filled on the basis of a common/combined examination in a year except in the case of Category I, shall endorse a copy of the requisition to the Chief Secretary to Government, Haryana. In the case of Common/Combined Examination of Haryana Civil Service (Executive Branch) and other Allied Services in Category I, a competitive examination shall be held every year as per Schedule given hereunder :—

SCHEDULE

Sr. No.	Month	Action to be taken
1	2	3
1	December	All the concerned departments will send their requisitions to the Chief Secretary to Government, Haryana upto 15th December who will further forward common/consolidated requisition for HCS (Executive Branch) and Allied Services to the Haryana Public Service Commission by 31st December.
2	January	The Haryana Public Service Commission will issue advertisement inviting applications from prospective eligible candidates.
3	August	The Haryana Public Service Commission will hold the written examination.
4	November	The Haryana Public Service Commission will hold the *viva-voce* test.
5	December	The Haryana Public Service Commission will send the list of successful candidates to the Chief Secretary.